निर्णय बइजलास श्री संजीव कुमार खेदड़, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्या:–32 / 2023 (रे0वाद)
दायर दिनांक:– 08 / 03 / 2023
निर्णय दिनांक:– 30 / 08 / 2024

अनवान

1. प्रतापी पिता मकना जाति भील निवासी घोड़ा तलाई, मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

विरूद्ध

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमंद

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादिया ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादिया की ओर से निवेदन किया कि वादिया को दिनांक 21 / 12 / 2010 में राज्य सरकार के आदेश से आंवटन कमेटी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय देवगढ़ की उपस्थिति में ग्राम मदारिया की सीमा में खसरा संख्या 956 / 2 रकबा 05 बीघा भूमि आवंटित की। आवंटन आदेश पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर वादिया को भूमि नाप कर कब्जा सिपूर्द किया। वादिया को भूमि आवंटन होने पर वादिया ने भूमि के चारों तरफ कांटो व पत्थर की बाड़ लगाकर प्रथम वर्ष में कब्जा कर 1 / 3 भूमि में सुधार कर काश्त की, बकाया भूमि में अगले दो वर्ष में काश्त कर मक्की, उड़द, मूंगफली आदि फसल की काश्त की। वादिया के 10 वर्ष तक कब्जे काश्त का अवलोकन कर हल्का पटवारी ने भूमि का ब्यौरा तहसीलदार को पेश किया जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा भूमि को वादिया को गैर खातेदारी भूमि दर्ज कर दिया। वादिया अनुसूचित जनजाति की गरीब महिला होकर राज्य सरकार ने उसकी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गरीब महिला को भूमि आवंटित की है तथा विधिवत कब्जा काश्त के आधार पर भूमि उसके गैर खातेदारी में दर्ज की गई है। हाल भू–बंदोबस्त में सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से वादिया के गैर खातेदारी की भूमि को उसके खाते से हटाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई है जो गलती से एवं बिना अधिकारों के की है। सेटलमेन्ट अधिकारियों को खातेदारी में फेरबदल का कानूनी अधिकारी नहीं है। वादिया का यह वाद वादिया की कृषि भूमि को उसके खाते दर्ज करने अथवा खातेदारी दर्ज करने हेतु घोषणा का है। वादिया अनुसूचित जनजाति की गरीब महिला कृषक है। वाद कारण सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादिया की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादिया की भूमि की गैर खातेदारी जो सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा निरस्त कर बिलनाम दर्ज कर दी गई है उसे पुनः वादिया के खातेदारी में दर्ज करने हेतु घोषणा की डिक्री सादर फरमाई जावें तथा रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वादपत्र का जवाब पेश किया कि मौज मदारिया के बिलानाम आराजी संख्या 02 में से 05 बीघा भूमि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवगढ़ के आदेश पत्र 19/2010 आवंटन दिनांक 21/12/2010 द्वारा वादी प्रतापी पुत्री मकना को गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई जो नामान्तरण संख्या 1237 की परत पर उक्त आवंटन 05 बीघा भूमि का नक्शा अंकित है। जमाबन्दी संख्या 2068 से 71 के खाता संख्या 389 में प्रतापी पिता मकना भील देह गैर खातेदार आराजी संख्या 956/2 रकबा 05 बीघा किस्म हकत 3 दर्ज रिकॉर्ड थी लट्ठा शीट में लाल स्याही से उक्त भूमि की तरमीम की हुई है। उसके उपरान्त हुए नवीन सेटलमेन्ट से बनी जमाबन्दी के सेग्रीगेशन कार्य में उक्त भूमि का नवीन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ। जिससे उक्त भूमि वादी प्रतापी के नाम वर्तमान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जमाबन्दी में अंकन नहीं होकर वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर बिलानाम आराजी संख्या 126 कुल रकबा 5.30 हैक्टेयर किस्म गै.मु.पहाड में से 0.78 हैक्टेयर व बिलानाम आराजी संख्या 138 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 में से 0.30 हैक्टेयर भूमि पर संकलित रूप से वादिया प्रतापी द्वारा पत्थर की कच्ची दीवार कांटो की बाढ़ आदि लगातार कब्जा कर रखा है जो मिलान पत्रक के अनुसार मूल बिलानाम आराजी संख्या 02 से ही बने है। वादी प्रतापी द्वारा उक्त भूमि पर आवंटन के वक्त से आज तक निरन्तर रूप से काबिज होकर प्रार्थिया के उक्त भूमि में से करीब 0.25 हैक्टेयर भूमि काबिज काश्त बना रखी है शेष भूमि पर झाड बबूल डान आदि खड़े है एवं पान, पापड़ी व चारे की उपज होती है। मौके पर उक्त कब्जे सुदा भूमि में 0.10 हैक्टेयर में कुलथी, चवला, मुंग कुल 0.15 हैक्टेयर भूमि पर फसल बो रखी है। प्रार्थी प्रतापी के कब्जे सुदा 05 बीघा भूमि का नक्शा प्रस्तावित लाल स्याही से ट्रेस कर रिपोर्ट के साथ संलग्न है गत लट्ठाशीट में अंकित उक्त आराजी संख्या 956/2 का आकार तरमीम सुदा नक्शा व वर्तमान में काबिज होने का नक्शा आंशिक रूप से भिन्नता है।

वादिया द्वारा पेश वादपत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर आया कि वादिया को ग्राम मौजा मदारिया के बिलानाम आराजी संख्या 02 में से 05 बीघा भूमि आवंटित हो वादिया के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड थी एवं तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट में भी अंकित है कि जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 389 में प्रतापी पिता मकना भील देह गैर खातेदार आराजी संख्या 956/2 रकबा 05 बीघा वादिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी लठ्ठा शीट में लाल स्याही से उक्त भूमि की तरमीम थी। नवीन सेटलमेन्अ से बनी जमाबन्दी के सेग्रीगेशन कार्य से उक्त भूमि का नवीन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ जिससे उक्त भूमि वादी प्रतापी के नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकन नहीं होकर वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः वादिया का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ में जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 389 आराजी संख्या 956/2 रकबा 05 बीघा प्रतापी पिता मकना भील देह गैर खातेदार दर्ज भूमि को वर्तमान सेटलमेन्ट के आराजी संख्या 126 एवं 138 में से माफिक कब्जा अनुसार पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार 1.0800 हैक्टयर भूमि वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में जरिये इन्द्राज शुद्धि करते हुए दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, देवगढ़ को पालना हेतु लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। तदनुसार तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार खेदड़ आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 32 / 2023

अनवान

1 प्रतापी पिता मकना जाति भील निवासी घोड़ा तलाई मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

–: : बनाम : :–

1 राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

में इस आशय मे दिनांक 30 / 08 / 2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम मदारिया पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ में जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 389 आराजी संख्या 956 / 2 रकबा 05 बीघा प्रतापी पिता मकना भील देह गैर खातेदार दर्ज भूमि को वर्तमान सेटलमेन्ट के आराजी संख्या 126 एवं 138 में से माफिक कब्जा अनुसार पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार 1.0800 हैक्टयर भूमि वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में जरिये इन्द्राज शुद्धि करते हुए दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, देवगढ़ को पालना हेतु लिखा जावे। तदनुसार तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30 / 08 / 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द